

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की दिनांक 18.02.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- 827 / M-8 / 38 दिनांक 11-3-25

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 18.02.2025 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

- | | |
|---|-------------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (उपाध्यक्ष) |
| 2. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (सदस्य) |
| 3. जिला पंचायत राज अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (सदस्य) |
| 4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद। | (सदस्य) |
| 5. श्री हिमान्शू राठौर, डी०सी०, मै० गेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा०लि०, फर्रुखाबाद। | (डी०पी०एम०यू०) |
| 6. श्री अनुज कुमार, डी०पी०एम०, मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि०, फर्रुखाबाद। | (टी०पी०आई०) |
| 7. श्री अशोक शर्मा, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 8. श्री नीलेन्द्र सिंह, डी०पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 9. श्री अनुराग द्विवेदी, डी०पी०एम०, मै० बी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 10. श्री प्रताप सिंह, मै० बी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 11. श्री गोबिन्द दीक्षित, मै० बी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा। | (निर्माण एजेन्सी) |
| 12. श्रीमती गीता सैनी, कोआर्डिनेटर, मै० सर्वार्थ सेवा संस्थान, लखनऊ। | (आई०एस०ए०) |
| 13. कु० हिमांशी वर्मा, कोआर्डिनेटर, मै० भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी। | (आई०एस०ए०) |
| 14. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद। | (सदस्य सचिव) |

1. सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता उ०प्र०, जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-2 एवं फेज-3 में कराये जा रहे समस्त कार्यों की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया। योजना में लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहन असंतोष व्यक्त किया गया इससे ऐसा लगता है कि कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/इंजीनियर्स के द्वारा कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। और निर्माण कार्यों की प्रगति को अधीनस्थों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। किसी भी प्रकार की वर्कमैनशिप परिलक्षित नहीं हो रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि उच्च जलाशय के निर्माण की अपने स्तर से निरन्तर समीक्षा करें, और प्रगति में सुधार न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करें। वर्तमान में जल जीवन मिशन फेज-02 एवं फेज-03 के अन्तर्गत उच्च जलाशय के निर्माण की प्रगति का विवरण फर्मवार निम्नवत् है-

फर्म का नाम	लक्ष्य	प्रगति	अवशेष
मै० जी०वी०पी०आर०	227	39	188
मै० बी०टी०एल० गजा	154	87	67

- मै० जी०वी०पी०आर० के प्रतिनिधि श्री अशोक शर्मा के द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 227 नग उच्च जलाशयों में से 28 नग उच्च जलाशय आर०सी०सी० पर आधारित है तथा शेष 199 नग उच्च जलाशय जिंक एलम पर आधारित है। जिनमें से 28 नग उच्च जलाशय की स्थापना कर दी गई है तथा अवशेष 171 नग उच्च जलाशय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। धीमी प्रगति को देखते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष उच्च जलाशयों की स्थापना का कार्य माह मार्च, 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- जनपद हेतु नामित दोनों एजेंसियों मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० तथा मै० बी०टी०एल० गजा इंजी० लि० के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु योजनवार बार-चार्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० के प्रतिनिधि श्री अशोक शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि जिंक एलम टैंकों की सप्लाय हेतु 01 माह पूर्व परचेस आर्डर कर दिया गया है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि परचेस आर्डर की कापी (रसीद) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा निर्देश दिये गये कि आर०सी०सी० टैंक से जिंक एलम

टैंक में परिवर्तित करने हेतु शासन द्वारा किस तिथि को अनुमति प्रदान की गयी, के आदेश की प्रति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

5. दोनों एजेंसियों मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0 तथा मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0 के प्रतिनिधि क्रमशः श्री अशोक कुमार शर्मा तथा श्री अनुराग द्विवेदी को निर्देश दिये गये कि जहाँ-जहाँ पाइप लाइन विछाने के दौरान मार्गों को तोड़ा गया है उनको पूर्व की भाँति गुणवत्तापूर्ण ठीक कराना सुनिश्चित करें, इस कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश कई बार दिये जा चुके हैं लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है यह प्रकरण जनता की सुविधा से जुड़ा हुआ है। अतः इस पर विशेष अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये। बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी राजेपुर तथा खण्ड विकास अधिकारी बड़पुर ने स्थलवार मार्गों की सूची प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि मार्गों की अभी मरम्मत नहीं की गई है और लोगो को असुविधा हो रही है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थों से सर्वे कराते हुये कि किन-किन मार्गों का रेस्टोरेशन नहीं किया गया है, की सूची उपलब्ध करायें।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में कुल 715 ग्रामों में 217369 नग कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 176043 नग कनेक्शन किये जा चुके हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष 41326 नग कनेक्शनों को आगामी बैठक तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
7. निर्देश दिये गये कि दोनों एजेंसियों के साइट इंजी0/सुपरवाइजर के नाम एवं मोबाइल नम्बर की योजनावार सूची उपलब्ध करायें।
8. निर्देश दिये गये कि जनपद फर्रुखाबाद हेतु नामित टी0पी0आई0 एजेंसी के डी0पी0एम0 ब्लाकवार इंजी0 का नाम एवं मोबाइल नम्बर की सूची उपलब्ध करायें।
9. निर्देश दिये गये कि जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक स्तरीय साप्ताहिक बैठक में दोनों एजेंसियों के इंजी0 तथा टी0पी0आई0 के इंजी0 के साथ समीक्षा कर पेयजल योजना से सम्बन्धित कराये गये कार्यों जैसे- रोडरेस्टोरेशन, गृहजल संयोजन एवं पेयजलापूर्ति की वर्तमान स्थिति से अवगत रहें एवं शतप्रतिशत रोडरेस्टोरेशन एवं जलापूर्ति करायें तथा यदि एजेंसी द्वारा वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो आगामी बैठक में अवगत करायें।
10. साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद हेतु नामित जिला समन्वयक एवं अनुश्रवण इकाई, फर्रुखाबाद के डी0पी0एम0 प्रत्येक दिन जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद को उपलब्ध करायें।
11. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान/ख0वि0अ0 के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दोनों एजेंसियों द्वारा अधिकांश गृहजल संयोजन घरों के बाहर दिये जा रहे हैं जिस पर दोनों एजेंसियों के प्रतिनिधियों को कनेक्शन घर के अन्दर करने हेतु निर्देशित किया गया। यदि कोई गृहस्वामी स्वेच्छा से घर के बाहर कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका सहमति पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कनेक्शन घर के बाहर दिया जाये तथा जिन कनेक्शनों को घर के बाहर स्थापित किया गया है उनको प्रत्येक दशा में घर के अन्दर स्थापित करना सुनिश्चित करें।
12. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामों में नाला/नाली /सड़क निर्माण के समय एजेंसियों द्वारा कराये गये गृह संयोजनों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिस कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ग्रामों में निर्माण सम्बन्धित कार्य कराते समय सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को पूर्व में अवगत कराया जाये जिससे भविष्य में पाइप लाइन/गृहसंयोजन की क्षति न हो।
13. दोनों एजेंसी को कार्य पूर्ण करने की पुनरीक्षित तिथि पूँछने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण कि तिथि बीत जाने के कारण समयवृद्धि का प्रस्ताव मिशन कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है शीघ्र समयवृद्धि मिलना अपेक्षित है।
14. बैठक में उपस्थित आई0एस0ए0 मै0 भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी तथा मै0 सर्वार्थ सेवा संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामों में जाकर पेयजल से सम्बन्धित ग्रामवासियों में जन जागरूकता अभियान चलाते हुये गृहजल संयोजन कराने एवं पेयजल संरक्षण हेतु प्रेरित करें।
15. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद को निर्देश दिये गये कि मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियमित रूप से जनपद हेतु नामित दोनों एजेंसियों

मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० तथा मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि० के साथ समीक्षा बैठक कराना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक में निर्देश दिये गये कि हर घर जल योजना शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है जिसका सम्बन्ध सीधा जनता से है। मा० प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा भी योजना को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार श्रमशक्ति बढ़ाते हुये योजना के समस्त कार्यो को युद्ध स्तर पर कराते हुए समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
धन्यवाद झापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. मुख्य विकस अधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
6. मै० वी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि० टी०पी०आई०, फर्रुखाबाद।
7. मै० मेंघज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा०लि० डी०पी०एम०यू०, फर्रुखाबाद।
8. मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि०, हैदराबाद।
9. मै० वी०टी०एल० गजा इंजी०लि० जे०वी०, नोएडा।
10. मै० भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान इटावा रोड़ बेवर, मैनपुरी।
11. मै० सवार्थ सेवा संस्थान, न्यू नन्दी बिहार कालोनी, सराय शेख चिनहट, लखनऊ।

12/03/25
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद